पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1955 /अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक 24.05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1615/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बी.ए. पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक–11 की कंडिका (8) में प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए –**

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आतंरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020–21 (परीक्षा–2021) के प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.5.21

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1956 /अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक 24.05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1617/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बी.ए.(क्लासिक्स) पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक–12 की कंडिका (8) में प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए –**

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आतंरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020–21 (परीक्षा–2021) के प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.5.21

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय). ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक \952 /अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक 24.05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1619/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बी.एस–सी. पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक–21 की कंडिका (8) में प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए –**

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आतंरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020–21 (परीक्षा–2021) के प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.5.21

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक १९५५ /अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक २५/05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1621/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बी.कॉम. पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक–23 की कंडिका (8) में प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए –**

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आंतरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020–21 (परीक्षा–2021) के प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.3.21

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक १९६८ /अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक २५.05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1623/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बी.एस–सी. (होम साइंस) पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक–27 की कंडिका (6) में प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए –**

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आतंरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020–21 (परीक्षा–2021) के प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.5.21

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1946 /अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक 24.05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1625/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बी.पी.ई. (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक 110 की कंडिका (6.6) के प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए** –

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आंतरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020–21 (परीक्षा–2021) में प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.5.21

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1950 /अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक 24.05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1627/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बी.ए.एल–एल–बी. पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक–179 की कंडिका (9) के प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए –**

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आतंरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र 2020–21 (परीक्षा–2021) में प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.5.21

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802(अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1958/अका./आं.मूल्यां./2021 रायपुर, दिनांक 25.05.2021

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1629/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 19.02.2021 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1861/अका./आं.मूल्यां./2021, दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाता है। निरस्त अधिसूचना के स्थान पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी" प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एल–एल–बी. पाठ्यक्रम, **अध्यादेश क्रमांक–180 की कंडिका (5) की उप कण्डिका (a) में प्रथम परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान को समाहित करते हुए पढ़ा जाए –**

Provided that for regular examinee, there shall be both internal (10% of Max. Marks) and external (90% of Max. Marks) evaluation for theory part in each subject/group of subjects. (This provision shall be applicable for the examinee admitted in the course on 2020-21 and onwards.).

अध्यादेश में उपरोक्त समाहित अंशों के परिप्रेक्ष्य में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. आंतरिक मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक विषयों में होगा। प्रायोगिक एवं अतिरिक्त विषयों में नहीं होगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन विषयवार होगा न कि प्रश्नपत्रवार।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी की उपस्थिति एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
4. किसी विषय में उत्तीर्णांक का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर किया जाएगा।
5. आंतरिक मूल्यांकन के अंक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक/ए.टी.के.टी. होने पर आगामी परीक्षा हेतु Carry forword होंगे।
6. वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों जिनमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना अनुसार सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र के "अधिकतम अंक" निर्धारित होंगे। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षार्थी के प्राप्तांक को प्रश्नपत्रवार 90% अभिभार (Waightage) गणना कर दिया जाएगा।
7. सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित पाठ्यक्रम योजना में प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 90% पर अधिकतम अंक प्रश्न–पत्र में दर्शित कर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त प्रावधान शिक्षा सत्र् 2020–21 (परीक्षा–2021) में प्रथम वर्ष से प्रभावशील किया जाता है एवं इसी अनुरूप में आगामी सत्रों में भी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः प्रभावशील होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

24.5.21

कुलसचिव